Regd. Post


भारतीय
indian handicrafts
हस्तशिल्प
continuing tradition

फैक्स नं०: 26163085
Fax No. : 26163085

सत्यमेव जयते

कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार,
पश्चिमी खण्ड–7, रामाकृष्णापुरम,
नई दिल्ली–110 066

Office of the Development Commissioner (Handicrafts)
MINISTRY OF TEXTILES, GOVERNMENT OF INDIA.
West Block-7, R. K. Puram,
New Delhi-110 066


सं0 डी– 13020/6/2015–16–सामान्य/539 से 549 — दिनांक : 05.02.2016

————————
————————
————————

महोदय

इस कार्यालय में एयर कंडीशनर एवं वाटर कूलर आदि की रिपेयर एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुबंध करना है। आपसे अनुरोध है कि एयर कंडीशनर एवं वाटर कूलर को किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण करते हुए संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार वार्षिक अनुबंध के लिए अपनी दरें सील बंद लिफाफे में जिसके उपर **''एयर कंडीशनर एवं वाटर कूलर के रख–रखाव हेतु दरें''** स्पष्ट रुप से लिखा हो डाक या व्यक्तिगत रुप से इस कार्यालय में उक्त पते पर दिनांक 1.3.2016 दोपहर 12.00 बजे तक भेज सकते हैं तथा निविदाएं इस कार्यालय की वैबसाइट http/handicrafts.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में प्राप्त की गई निविदाएं 1.3.2016 को सायं 2.30 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जाएंगी। निविदाएं खोलने के समय इच्छुक पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(दीप्तांशु हलदर)
वरिष्ठ सहायक निदेशक (सामान्य)

Issued 8/2/2016

## एयरकंडीशनर एवं वाटरकूलर के वार्षिक रख–रखाव अनुबंध हेतु नियम एवं शर्ते

1. एजेन्सी के रजिस्ट्रेशन तथा नियमानुसार गत दो वर्षो में पूरी की गई कर सम्बन्धी औपचारिकताओं के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. कोटेशन भेजते समय प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर तथा फर्म की मोहर होनी चाहिए।
3. कोटेशन देते समय फिगर अथवा शब्दों में कोई कटिंग/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
4. अनुबंध की अवधि में फर्म कार्य करने के लिए बाध्य होगी।
5. उपकरणों की देखरेख के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रात : 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक मेकेनिक/इंजीनियर को कार्यालय में तैनात करना होगा । आवश्यकता पडने पर मैकेनिक/इंजीनियर को अवकाश के दिन में भी बुलाया जा सकता है ।
6. कार्यालय में एन्गेज कराने जाने वाले मैकेनिक/इंजीनियर का डिप्लोमा आदि की प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करें ।
7. रिपेयर के दौरान उपकरण में लगने वाले पार्ट/तार आई एस आई मार्क तथा प्रतिष्ठित कम्पनी के होने चाहिए तथा निकाले गए पार्ट कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
8. निम्न दर अथवा किसी भी दर को निरस्त करने का तथा नियम एवं शर्तो में संशोधन करने का अधिकार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को होगा।
9. कोटेशन के साथ लेखा अधिकारी मुख्यालय, विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय के नाम 5000 रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ईएमडी लगाना अनिवार्य है।
10. जिस फर्म की दरें अनुबंध हेतु स्वीकृत होंगी, उसे 5 दिन के अन्दर लेखा अधिकारी, मुख्यालय, विकास आयुक्त(हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली के नाम परफारमेंस सिक्योरिटी के रुप में 20,000/– रुपये की एक वर्ष की बैंक गारण्टी/ डिमाण्ड ड्राफट प्रस्तुत करना होगा।
11. रिपेयर के दौरान उपकरणों में लगने वाले पार्ट, मजदूरी एवं टूल आदि का अलग से कार्यालय भुगतान नहीं करेगा।
12. अनुबंध स्वीकृत हो जाने के दौरान कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना नोटिस के अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
13. फर्म के पास अपना पैन नं0/टिन नं0 होना अनिवार्य है।
14. भुगतान करते समय बिल से नियमानुसार टी डी एस काटकर भुगतान किया जाएगा।
15. खुले अथवा अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. किसी विवाद के लिए मामले का दिल्ली न्यायालय में निपटान किया जाएगा।

———————